न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 95/2023

1 सांवरमल पुत्र गणपत उम्र 58 साल जाति मीणा निवासी ग्राम थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

अपीलांटस

बनाम

1 उमेश कुमार मीणा पुत्र छोटूराम मीणा जाति मीणा निवासी नयाबासी तन ग्राम लाखा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
2 रामोतार पुत्र भागीरथ
3 भगवाना पुत्र सुरजा
4 ओमप्रकाश पुत्र गणपत
5 गीता देवी पत्नी स्व. रामौतार
6 महिपाल पुत्र स्व. रामौतार
7 अशोक पत्र स्व. रामौतार
8 नन्दू पुत्री स्व. रामौतार
9 श्रीमती मूली देवी पत्नी स्व. रामचन्द्र
10 बजरंग पुत्र स्व. रामचन्द्र
11 पिंकू पुत्र स्व. रामचन्द्र
12 कमलेश पुत्र स्व. रामचन्द्र
13 प्रेमदेवी पत्नी स्व. बाबूलाल
14 राजेन्द्र पुत्र स्व. बाबूलाल
15 बिरजू पुत्र स्व. बाबूलाल
16 दौला पुत्री स्व. बाबूलाल
17 कौशल्या देवी पत्नी स्व. मदनलाल
18 मनोज पुत्र स्व. मदनलाल
19 अनिल पुत्र स्व. मदनलाल
20 सरदार पुत्र स्व. मदनलाल
21 बाबूलाल पुत्र स्व. भगू उर्फ भागला (नाम हजफ किया गया दिनांक 27.04.2022)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी,
सीकर

22 श्रीमती सरोज देवी पतनी श्री लालसिंह (नाम हजफ दिनांक 21.03. 2025)
23 राजा पुत्री लालसिंह
24 विजय पुत्र लालसिंह
प्रतिवादीगण नम्बर 23 व 24 नाबालिग जरिये संरक्षका माता सरोज देवी समस्त जाति मीणा निवासीगण ग्राम थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
25 जयपाल पुत्र रामसहाय
26 मामराज पुत्र रणजीतराम
27 सुरेन्द्र सिह पुत्र सुगनचन्द
28 गौतम पुत्र रामसहाय
समस्त जाति मीणा निवासीगण ग्राक कल्याणपुरा तन थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
29 भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
30 पटवारी हल्का ग्राम थोर्ठ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
31 उप पंजीयन अधिकारी उप पंजीयन कार्यालय श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
32 बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ाखा थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
33 राधेश्याम मीणा पुत्र भागीरथ जाति मीणा निवासी ग्राम थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
34 धन्नी देवी पत्नी सांवरमल मीण जाति मीणा निवासी थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
35 उर्मिला पुत्री रामावतार
36 नरेन्द्र पुत्र रामावतार
37 मुकेश पुत्री रामावतार
38 सुमन पुत्री रामावतार
39 मक्खनलाल पुत्र दुर्गा
40 पतासी देवी पत्नी स्व. दुर्गा
41 बिमला देवी पुत्री स्व. दुर्गा
समस्त जाति मीणा निवासी थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

रेस्पोडेन्टस

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय एवं अंतिम डिक्री न्यायालय सहायक कलेक्टर श्रीमाधोपुर पीठासीन अधिकारी श्री दिलीप सिंह आरएएस दावा संख्या 206/2016 उनवानी उमेश कुमार मीणा बनाम रामोतार आदि दिनांकित 17.02.2023

उपस्थिति :

1. श्री सांवरमल चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सागरमल धायल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री संदीप सिंह सेवदा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर सत्यमेव जयते

—निर्णय—

दिनांकः— 26/5/26

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर (फा.ट्रे.) श्रीमाधोपुर द्वारा मुकदमा नम्बर 206/2016 में पारित निर्णय दिनांक 17.02.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने एक वाद तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 931/2 वाके ग्राम थोई तहसील श्रीमाधोपुर का पेश किया। विचारण न्यायायल ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री वाद संख्या 206/2016 उनवानी उमेश कुमार मीणा बनाम रामोतार आदि में पारित किया गया है परन्तु उक्त वाद के साथ ही वाद संख्या 131/2018

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उनवानी धन्नीदेवी बनाम भगवाना आदिभी समेकिन किया गया था। विचारण न्यायालय द्वारा समेकित वाद संख्या 131/2018 में कोई निर्णय व डिक्री पारित नहीं की गई है, केवल मात्र अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की प्रति ही उक्त वाद में भी संलग्न किये जाने बाबत आदेश पारित किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्ताव के आधार पर विभाजन प्रस्ताव को संशोधित करते हुए विचाराधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है वह विभाजन प्रस्ताव अपीलाधीन वाद में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांकित 07.08.2022 के अनुरूप नहीं था। जिसके संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट को किसी तरह की आपत्ति प्रस्तुति का कोई अवसर प्रदत्त किये अवैध रूप से अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित की गई है जो कतई विधि विरूद्ध होने के कारण स्थिर रहने योग्य नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णयएवं अंतिम डिक्री खसरा नम्बर 934/1 रकबा 0.1120 है. गैर मुमकिन रास्ते के रूप में जो भूमि दर्शित की गई है वह व्यवहारिक स्थिति के सर्वथा विपरित है। उक्त तथाकथित रास्ते की कतई आवश्यकता नहीं है तथाकथित रास्ते वाली जगह के उत्तरी भू–भाग पर अपीलान्ट का पक्का निर्माण है। इस कारण भी अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री स्थिर रहने योग्य नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एंव अंतिम डिक्री पारित किये जाने से पूर्व इस स्थिति की ओर गौर नहीं किया गया कि इस निर्णय एवं अंतिम डिक्री से केवल मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के मनचाहे अनुसार उनका अलग खाता निर्धारण किया जा रहा है जबकि अन्य सहखातेदार का हिस्सा अवैध रूप से शामलाती ही रखा जा रहा है तथा केवल मात्र जवाब दावे के धार पर जो कि विधि विरूद्ध तरीके से प्रस्तुत किया गया था अवैध रूप से अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित की गई है। जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने एक वाद तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 931/2 वाके ग्राम थोई तहसील श्रीमाधोपुर का पेश किया। विचारण न्यायायल ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री कर दिया। प्रकरण में पूर्व में राज्य सरकार द्वारा चलाये गये न्याय आपके द्वारा अभियान–2018 के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट–थोई में आयोजित शिविर में प्रतिवादी नं. 3 की अनापत्ति के आधार पर ग्राम पंचायत थोई के अटल सेवा के केन्द्र के मजमें–ए–आम में लोक अदालत की भावना से पक्षकारान के हक हिस्सा व मौके पर कब्जा काश्त अनुसार विधिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार श्रीमाधोपुर से मंगवाये जाने हेतु दिनांक 12.05.2018 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई। उक्त पारित प्रारम्भिक डिक्री की अपील इस न्यायालय के यहां सांवरमल पुत्र गणपत जाति मीणा निवासी थोई के द्वारा उनवानी सांवरमल बनाम उमेश कुमार वगै. अपील संख्या 47/2018 पेश की जाने एवं इस न्यायालय के द्वारा निर्णय दिनांक 14.01.2019 का निर्णय पारित किया जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 12.05.2018 को अपास्त किया जाकर प्रकरण को अपीलान्ट को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर बाद सुनवाई गुणावगुण पर प्रकरण में पुनः निर्णय पारित करने बाबत प्रकरण को रिमाण्ड किया गया था। जिस पर वादी की ओर श्री कमल कुमार शर्मा एड. उपस्थित आये एवं प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से श्री श्रवण कुमार एड. ने जवाब दावा पेश किया। प्रकरण में अकित खसरा नम्बरान 931/2 रकबा 6.7125 है. अवस्थित तन ग्राम थोई से संबंधित एक अन्य वाद पत्र मुकदमा नम्बर 131/2018 उनवानी श्रीमती धन्नी दवी बनाम भगवाना वगै. व मुकदमा नम्बर 100/2018 प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा उनवानी श्रीमती धन्नी देवी बनाम भगवाना वगै. इसी न्यायालय में विचाराधीन होने तथा पश्चातवर्ती वाद होने से उक्त पत्रावली में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 सीपीसी बाद सुनवाई स्वीकार होने पर पूर्ववर्ती वाद से संबंधित प्रस्तुत दावा मुकदमा नम्बर 131/2018 उनवानी श्रीमती धन्नी देवी बनाम भगवाना वगै. व मुकदमा नम्बर 100/2018 प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा उनवानी श्रीमती धन्नी देवी बनाम भगवाना वगै. को पूर्ववर्ती दावा मु.नं. 206/2016 बी.टी. नम्बर 546/2017 उनवीन उमेश कुमार मीणा बनाम रामोतार वगे. के साथ

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

कन्सोलिडेटेड किये जाने की स्वीकृति दी जाने पर उक्त प्रकरणों को एक वाद सुनवाई हेतु दिनांक 30.03.2022 को संयोजित किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 3 व 34 से उनका पक्ष सुने जाने बाबत व्यक्तिशः न्यायालय में उपस्थित करने बाबत उनके अधिवक्तागणों को आवश्यक हिदायत दी गई लेकिन बावजूद हिदायत के भी उक्त प्रतिवादीगण संख्या 3 व 34 हाजिर अदालत उपस्थित नहीं आये। प्रकरण में वकुलाये उभयपक्षकारान से वादपत्र के बंटवारा से संबधित होने से प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं की जाकर सीधे ही वकुलाय उभयपक्षकारान की आपसी सहमति से बंटवारा हेतु प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने हेतु सद्भाविक प्रयास किये गये। जिस पर वकील प्रतिवादी संख्या 3 व 34 ने वादी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा बरंग लाल स्याही के अनुसार रास्ते का सम्मिलित रूप से प्रावधान करते हुए प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाती है तो कोई आपत्ति नहीं होना वकील प्रतिवादीगण ने पत्रावली की आदेशिका पर अंकित किया। इस पर विचारण न्यायालय द्वारा विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। इस प्राथमिक डिक्री को अपीलान्ट द्वारा चुनौती नहीं दी गई है। प्राथमिक डिक्री की पालना में विचारण न्यायालय के समक्ष तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा दिनांक 14.10.2022 से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुये विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा उभयपक्ष को सूचित किया जाकर विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना में तैयार किये जाकर प्रस्तुत किये जाने पर विचारण न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया अनुसार सुनवाई कर विचाराधीन निर्णय से अंतिम डिक्री जारी करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट मियाद का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपील मियाद एवं गुणावगुण दोनों पर खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने एक वाद तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 931/2 वाके ग्राम थोई तहसील

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

श्रीमाधोपुर का पेश किया। विचारण न्यायायल ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री कर दिया।

प्रकरण में पूर्व में राज्य सरकार द्वारा चलाये गये न्याय आपके द्वारा अभियान–2018 के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट–थोई में आयोजित शिविर में प्रतिवादी नं. 3 की अनापत्ति के आधार पर ग्राम पंचायत थोई के अटल सेवा के केन्द्र के मजमें–ए–आम में लोक अदालत की भावना से पक्षकारान के हक हिस्सा व मौके पर कब्जा काश्त अनुसार विधिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार श्रीमाधोपुर से मंगवाये जाने हेतु दिनांक 12.05.2018 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई।

उक्त पारित प्रारम्भिक डिक्री की अपील इस न्यायालय के यहां सांवरमल पुत्र गणपत जाति मीणा निवासी थोई के द्वारा उनवानी सांवरमल बनाम उमेश कुमार वगै. अपील संख्या 47/2018 पेश की जाने एवं इस न्यायालय के द्वारा निर्णय दिनांक 14.01.2019 का निर्णय पारित किया जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 12.05.2018 को अपास्त किया जाकर प्रकरण को अपीलान्ट को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर बाद सुनवाई गुणावगुण पर प्रकरण में पुनः निर्णय पारित करने बाबत प्रकरण को रिमाण्ड किया गया था।

जिस पर वादी की ओर श्री कमल कुमार शर्मा एड. उपस्थित आये एवं प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से श्री श्रवण कुमार एड. ने जवाब दावा पेश किया। प्रकरण में अकित खसरा नम्बरान 931/2 रकबा 6.7125 है. अवस्थित तन ग्राम थोई से संबंधित एक अन्य वाद पत्र मुकदमा नम्बर 131/2018 उनवानी श्रीमती धन्नी दवी बनाम भगवाना वगै. व मुकदमा नम्बर 100/2018 प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा उनवानी श्रीमती धन्नी देवी बनाम भगवाना वगै. इसी न्यायालय में विचाराधीन होने तथा पश्चातवर्ती वाद होने से उक्त पत्रावली में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 सीपीसी बाद सुनवाई स्वीकार होने पर पूर्ववर्ती वाद से संबंधित प्रस्तुत दावा मुकदमा नम्बर 131/2018 उनवानी श्रीमती धन्नी देवी बनाम भगवाना वगै. व मुकदमा नम्बर 100/2018 प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा उनवानी श्रीमती धन्नी देवी बनाम भगवाना वगै. को पूर्ववर्ती दावा मु.नं. 206/2016 बी.टी.

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

नम्बर 546/2017 उनवीन उमेश कमार मीणा बनाम रामोतार वगे. के साथ कन्सोलिडेटेड किये जाने की स्वीकृति दी जाने पर उक्त प्रकरणों को एक वाद सुनवाई हेतु दिनांक 30.03.2022 को संयोजित किया गया।

प्रतिवादीगण संख्या 3 व 34 से उनका पक्ष सुने जाने बाबत व्यक्तिशः न्यायालय में उपस्थित करने बाबत उनके अधिवक्तागणों को आवश्यक हिदायत दी गई लेकिन बावजूद हिदायत के भी उक्त प्रतिवादीगण संख्या 3 व 34 हाजिर अदालत उपस्थित नहीं आये। वकील प्रतिवादी संख्या 3 व 34 ने वादी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा बरंग लाल स्याही के अनुसार रास्ते का सम्मिलित रूप से प्रावधान करते हुए प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाती है तो कोई आपत्ति नहीं होना वकील प्रतिवादीगण ने पत्रावली की आदेशिका पर अंकित किया। इस पर विचारण न्यायालय द्वारा विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। इस प्राथमिक डिक्री को अपीलान्ट द्वारा चुनौती नहीं दी गई है।

प्राथमिक डिक्री की पालना में विचारण न्यायालय के समक्ष तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा दिनांक 14.10.2022 से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुये विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा उभयपक्ष को सूचित किया जाकर विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना में तैयार किये जाकर प्रस्तुत किये जाने पर विचारण न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया अनुसार सुनवाई कर विचाराधीन निर्णय से अंतिम डिक्री जारी करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है।

विचारण न्यायालय में अपीलांट की जरिये वकील उपस्थिति रही है। अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट मियाद का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। विचारण न्यायालय के निर्णय मे हम कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट मियाद एवं गुणावगुण पर खारिज की जाती है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

निर्णय आज दिनांक 26/5/26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
सहा. भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर